सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
फॉलोअप कोर्ट केम्प पंचायत समिति डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

अपील संख्याः 2017/12 दायर दिनांक 15.06.2017

अपीलार्थीगण		प्रत्यर्थीगण
1. रामकरण पुत्र किस्तुराराम 2. उगमाराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी मुण्डाखेडी तहसील मकराना जिला नागौर राज.	बनाम्	1. सरपंच ग्राम पंचायत पावा तहसील डीडवाना 2. नारायणराम पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी मुण्डाखेडी तहसील मकराना जिला नागौर राज.

अपील,अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 404 दिनाकं 20.02.2003 बाबत ख.न 271/1 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा ख.न 281/1 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा जिसके संशोधित वर्तमान ख.न 738/271 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा ख.न 739/281 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा वाके पावा, सरपंच ग्राम पावा द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.06.2018

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा पावा तहसील डीडवाना की शरहद में खेत ख. न. 271 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा ख. न. 281 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा ख. न. 278 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा व ख. न. 657/261 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा श्री सोहनलाल दत्तक पुत्र रेखाराम जाट निवासी पावा की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत थे।अपीलान्ट दिनाकं 09.12.2002 को खातेदार श्री सोहनराम से उसके खातेदारी के खेत ख. न. 271 में से 09 बीघा 14 बिस्वा व ख. न. 281 मे से 08 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्ट्री बैचाण के मौल खरीद किये गये तथा उसी दिन दिनाकं 09.12. 2002 को श्री मंगलाराम पुत्र चुन्नीलाल जाट निवासी मुण्डाखेडी ने भी खातेदार श्री सोहनराम से खेत ख. न. 278 में से 01 बीघा 02 बिस्वा व ख. न. 657/261 मे से 04 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्ट्री बैचाण के मौल खरीद की, तथा उसी दिन दिनाकं 09.12.2002 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नारायणराम ने खातेदार श्री सोहनराम से खेत ख. न. 278 में से 01 बीघा 02 बिस्वा व ख. न.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

657/261 मे से 04 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्ट्री बैचाण के मौल खरीदी ।

खेत ख. न. 278, 657/261, 271, व 281 कुल रकबा 41 बीघा 13 बिस्वा की उक्त तीनो रजिस्ट्री बैचाण अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तथा मंगलाराम के नाम से अलग–अलग एक ही दिनाकं 09.12.2002 को की हुई होने के कारण पटवारी ने उक्त तीनो रजिस्ट्री बैचाण का नामान्तरकरण एक साथ दर्ज किया जाकर नामान्तरकरण फार्म के कॉलम संख्या 14, 15, व 6 में यह रिर्पोट की कि बैचाण खातेदार सोहनराम द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनाकं 09.12.2002 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 193, पृष्ट संख्या 1236, 1237, 138 कम संख्या 1236/02, 1237/02, 1238/02 पर पंजिबद्ध करवा कर ख. न. 278, 657/261, 271, व 281 कुल रकबा 41 बीघा 13 बिस्वा सम्पुर्ण बैचाण कर दिया, अतः नामान्नतरकरण केताओं के नाम दायर, वास्ते जॉच श्रीमान की सेवा में पेश है।उक्त रिर्पोट तो पटवारी ने रजिस्ट्री बैचाण के अनुसार सही की है, मगर नामान्तरणकरण के कॉलम संख्या 09 में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नारायणराम व मंगलाराम द्वारा खरीदी गई जमीन का तो नामान्तरणकरण उनके नाम से सही दर्ज कर दिया मगर अपीलान्टस द्वारा खरीदी गई जमीन का नामान्तरणकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज नही किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नारायणराम के नाम गलत दर्ज कर दिया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत पावा ने बिना जॉच किये उक्त गलत दर्ज किये नामान्तरणकरण को स्वीकृत कर दिया जिस नामान्तरणकरण के विरूद्ध अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहे है।

अपील अपीलार्थी की प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 404 दिनाकं 20.02.2003 ग्राम पावा को अपीलान्ट की जरिये रजिस्ट्री खरीद शुदा ख. न. 271/1 व 281/01 जिसके वर्तमान ख. न. 738/271 व 739/281 वाके पावा की हद तक खरिज फरमाया जाकर वर्तमान ख. न. 738/271 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा व ख. न. 739/281 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा वाके पावा की खातेदारी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नारायणराम पुत्र पुसाराम जाट निवासी गुण्डा खेडी का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर अपीलान्टस के नाम से खातेदारी दर्ज की जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किये गये।

दिनाकं 07.12.2017 को प्रत्यर्थी संख्या 02 की और से अधिवक्ता श्री समन्दरसिंह ने वकालतनामा पेश किया। व अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 02 की और से राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक राजीनामा सामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त पत्रावली पर मनन किया व मजमे आम सुना गया। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 02 की और से पेश राजीनामा के अनुसार व बैचाण रजिस्ट्री के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागोर)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 404 दिनाकं 20.02.2003 ग्राम पावा को अपीलान्टस की जरिये रजिस्ट्री खरीद शुदा ख. न. 271/1 व 281/01 जिसके वर्तमान ख. न. 738/271 व 739/281 वाके पावा की हद तक खरिज किया जाकर वर्तमान ख. न. 738/271 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा व ख. न. 739/281 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा वाके पावा की खातेदारी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नारायणराम पुत्र पुसाराम जाट निवासी मुण्डा खेडी का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर अपीलान्टस के नाम से खातेदारी दर्ज की जाने हेतु तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **30.06.2018** को फॉलोअप केम्प पंचायत समिति डीडवाना में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned by CamScanner